न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/84/2015

उनवान

1. कैलाश चन्द्र आत्मज मोहन लाल तिवारी निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 65/98 निर्णय एवं दिनांक 28.12.98

अधिवक्तागण :–

1. श्री मोहन लाल असावा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने दिनांक 6.7.98 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति तहसील शाहपुरा के द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 4.8.89 को ग्राम पण्डेर की आराजी नम्बर 2056 में रकबा 5 बीघा भूमि का नियत शर्तो पर कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था, इस आवंटन के लिए बाद जांच यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भूमि की पैमूदगी के लिए अप्रार्थी को सूचना देने पर बताया गया कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अप्रार्थी कमा खाने बाहर गांव गया है । अतः भूमि का कब्जा अप्रार्थी द्वारा नहीं लिया गया । अतः शर्तो की अनुपालना नहीं करने से आवंटन निरस्त कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 28.12.98 को निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी बीमार हो गया था। दिमागी भूल के कारण अपीलार्थी को ध्यान नही रहा । प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 17.6.2015 को जानकारी हुई। जिस पर निर्णय की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.8.89 को ग्राम पण्डेर के आराजी नम्बर 2056 रकबा 5 बीघा भूमि का नियत शर्तो पर कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। आंवटन के बाद अपीलाण्ट को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया था। कब्जा देने बाबत किसी राजस्व अधिकारी द्वारा ना कोई जानकारी दी गई एवं न ही कोई नोटिस दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने बताया कि तथाकथित भूमि का कब्जा अपीलाण्ट को सूचना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

देने पर भी उसके द्वारा नहीं लिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिरूिद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व समस्त कार्यवाही की गई थी। कानूनन तथाकथित भूमि का कब्जा नहीं देने की वजह से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आधार पर आवंटन निरस्त किया । उसका क्षैत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। आवंटन फ्रोड एवं मिस रिप्रजेण्टेशन के आधार पर कराया गया हो ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भूमि की पैमूदग अथवा पटवारी द्वारा न तो कोई जानकारी दी गई एवं न ही कोई नोटिस ही दिया गया । वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का भूमिहीन होने से काफी अर्से से कब्जा चला आ रहा है और अपीलार्थी ने भूमि को सरसब्ज कर रखा है। अपीलार्थी अनपढ किसान है । अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी ने प्रशासन गांव के संग कैम्प में आवंटित भूमि को पैमूद करने व कब्जा सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया । उस समय राजस्व अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने की जानकारी दी । आवंटन प्रक्रिया के तहत आवंटी को लिखित नोटिस देकर भूमि का कब्जा सुपुर्द करना चाहिये था। लेकिन अपीलाधीन मामले में ऐसा नहीं किया गया है। अपीलार्थी/आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा देने का प्रयास ही नहीं किया गया । उसके बावजूद अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया । उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायालय का ध्यान न्यायिक उद्धरण सी जे (सिविल) 2016 (1) राजस्थान पेज 1602, सी जे (सिविल) 2016 (1) राजस्थान पेज 1822, आर आर डी पेज 78, सी जे (सिविल) 2016 (1) राजस्थान पेज 31ख सी जे (सिविल) 2016 (2) राजस्थान पेज 692, ए आई आर 2001 अहमदाबाद पेज 334, ए आई आर 1991 मध्यप्रदेश पेज 18, ए आई आर राजस्थान पेज 133 की ओर आकर्षित किया ।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है एवं न ही उसके द्वारा आवंटन के उपरान्त कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति तहसील शाहपुरा के द्वारा दिनांक 4.8.89 को ग्राम पण्डेर की आराजी नम्बर 2056 रकबा 5 बीघा भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को ग्राम पण्डेर की आराजी नम्बर 2056 रकबा 5 बीघा भूमि का नियत शर्तो पर कृषि कार्य के लिए किया गया था। आवंटन के उपरान्त कब्जा सुपुर्दगी के समय अपीलार्थी कमा खाने बाहर चला गया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को भूमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया । अपीलार्थी ने वापस आने पर आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया । अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन 1989 में किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है एवं उसने वादग्रस्त भूमि को सरसब्ज बनाया है। अपीलार्थी ने अपने कथनों की ताईद में कोई राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नहीं की है जिससे अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त रहा हो। अपीलार्थी को आवंटन के उपरान्त आवंटित भूमि का कब्जा ही सुपुर्द नहीं किया गया एवं इतनी लम्बी अवधि तक अपीलार्थी ने कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही भी नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। युक्तियुक्त नहीं ठहरता है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण अपीलाधीन प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। चूंकि वर्तमान में भूमियों की कीमत काफी बढ चुकी है। अतः अपीलार्थी ने लोभवश आवंटित भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए आवंटन को बहाल रखने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन नियत शर्तो पर किया गया था। जब उसके द्वारा कब्जा ही प्राप्त नहीं किया गया था तो उसके द्वारा नियत शर्तो की पालना किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब भी किया गया है । ऐसा नहीं है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला हो। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

11. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.98 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

12/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा